राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018 दूरभाष नं. 0141–2552796

क्रमांकः प. 3(33)RSMSSB/ स्टोर / कार्पेन्टर–सेनेट्री / 2018 / 1861 जयपुर दिनांकः 05/06/18

(कॉटेशन आमंत्रण सूचना)

विषयः– बोर्ड भवन बोर्ड कार्यालय में सैनेट्री / कारपेन्टर के कोटेशन के लिए अनुरोध।

इस कार्यालय में बोर्ड भवन के समस्त सैनेट्री / कारपेन्टर संबंधी सेवायें देने के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध किया जाना है। वार्षिक अनुमानित व्यय 1.00 लाख तक है। अतः इस कार्य को करने वाली तकनीकी क्षमता रखने वाली फर्म से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक निविदादाता अपनी दरें समस्त कर सहित सील बन्द लिफाफे में अद्योहस्ताक्षकर्ता को दिनांक 07/06/2018 को अपराह्न 3:00 बजे तक आवश्यक रुप से प्रस्तुत करें। प्राप्त निविदाऐं उसी दिन उपस्थित निविदादाओं के समक्ष साय 5:00 बजे खोल दी जावेगी।

वार्षिक रख–रखाव की शर्तेः–

1. रख – रखाव अनुबंध 1 वर्ष के लिये होगा। जो कि आपसी सहमति से परस्पर 03 माह तक बढाई जा सकेगी। लेकिन बोर्ड इसके लिए बाध्य नहीं है।
2. बोर्ड भवन एवं परिसर में समस्त पाईप लाईन की मरम्मत का कार्य, बाथरूम तथा डब्लयू–सी की मरम्मत का कार्य, बोर्ड कार्यालय में सैनेट्री एवं डेनेज व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए आवश्यक कार्य, दरवाजे / खिडकी, फर्नीचर तथा (कुर्सी टेबिल इत्यादि) अन्य कारपेन्टर संबंधी समस्त मरम्मत कार्य / आवश्यकतानुसार पार्टस बदलना होगा। वार्षिक रखरखाव के संबंध में अपनी दरे समस्त करो सहित सलंग्न अनुसूची अ में प्रस्तुत करें। सैनेट्री / कारपेन्टर रखरखाव संबंधित करवाये जाने वाले का अवलोकन अद्योहस्ताक्षकर्ता से सम्पर्क कर कार्यालय समय में कर सकते हैं।
3. नियमित रूप से सैनेट्री / कारपेन्टर संबंधी समस्त कार्य की देखभाल करनी होगी। तथा नियमित रूप से केयर टेकर, मुख्यालय से समस्त सैनेट्री / कारपेन्टर कार्य के सही होने का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर विभाग द्वारा बुलाये जाने (दूरभाष / पत्र द्वारा) पर अविलम्ब उपस्थित होकर अधिकतम 02 घंटे में शिकायत का निराकरण करेंगे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आपसे (अनुबन्धकर्ता फर्म से) प्रतिदिन के हिसाब से रूपये 200 / – (अक्षरे रूपये दो सौ मात्र) का जुर्माना वसूल किया जावेगा।
4. भुगतान प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्ति पर कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर बिल कोष कार्यालय से पारित होने पर देय होगा।
5. सफल निविदादाता को इस कार्य हेतु विभाग के साथ 500 / – रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा कराकर अनुबन्ध कर निष्पादन करना होगा।
6. यदि निविदादाता विर्निष्ट समय के भीतर कार्य सन्तोषजनक न कर पाये तो विभागीय अधिकारी को यह हक होगा कि वह निविदादाता को सूचना दिये बिना निविदाकार के हिसाब में और उसकी जोखिम पर कार्य करावें। निविदाकार का विफल रहने के कारण होने वाली हानि या नुकसान का उत्तरदायित्व होगा। परन्तु निविदाकार को इसके फलस्वरुप किये गये कार्य से होने वाले लाभ का अधिकार नहीं होगा। निविदाकार से ऐसी हानि या नुकसान की वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. सफल निविदादाता द्वारा सन्तोषप्रद रूप से कार्य नहीं करने पर उनके द्वारा जमा करायी गयी सुरक्षित राशि जब्त करते हुए उनकी रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य करवा लिया जावेगा।
8. निविदादाता की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
9. सैनेट्री / कारपेन्टर रख–रखाव का कार्य पूर्ण सावधानी से करना होगा। निविदादाता को अथवा उसके किसी व्यक्ति / कर्मचारी को बोर्ड परिसर / भवन में सैनेट्री / कारपेन्टर के रख–रखाव के दौरान की शारीरिक क्षति होती है, तो विभाग की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के ठेकेदार / निविदादाता का

अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।

11 निविदादाता अथवा उसके कर्मचारियों से कार्य के दौरान विभाग का किसी प्रकार का नुकसान जान बुझकर अथवा अनजाने में होता है तो उसकी वसूली निविदादाता से की जायेगी। नुकसान की कीमत कितनी वसूली योग्य होगी यह विभाग तय करेगा तथा विभाग का निर्णय अंतिम निर्णय होगा।

12 निविदादाता का निविदा और करार की शर्तो और प्रतिबन्धों की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप कोटेशन के लिए अनुरोध पत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करने चाहिए।

13 निविदादाता को फर्म के **GST Reg.** की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। (यदि नियमानुसार लागू हो तो)

14 **PAN Card** की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

15 भुगतान विभाग द्वारा पूर्ण सन्तुष्टि पश्चात् चैक/बिल से नियमानुसार किया जावेगा। भुगतान करने में होने वाले को व्यय की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी प्रकार की कोई अग्रिम राशि नही दी जायेगी। नियमानुसार T.D.S. की कटौती की जायेगी।

16 निविदादाता या उनके प्रतिनिधियों की और से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रू से अपना पक्ष समर्थन करना/कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी ।

17 समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष (विभाग अथवा संविदाकार) द्वारा संस्थित किये जाने की आवश्यकता पडे, जयपुर स्थित न्यायालयों में ही प्रारम्भ करनी होगी। किसी अन्य स्थान पर नही।

18 उपयुक्त शर्तो के अलावा निविदा में किन्ही भी अन्य शर्तो पर विचार नही किया जावेगा।

19 मरम्मत/संधारण हेतु स्थाई प्रकृति की वांछित सामग्री सेवादाता को बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

20 सैनेट्री/कारपेन्टर व्यक्ति/फर्म को अपने कोटेशन में कार्यक्षेत्र में वर्णित कार्यो को संपादित करने के लिए एक माह के लिए देय राशि अंकित करनी होगी।

21 उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 के प्रावधान लागू होगें।

(मुकुट बी. जांगिड़)
सचिव

06

(बोर्ड भवन व परिसर में सेनेट्री एवं कारपेन्टर संबंधी कार्य के संबंध में दर प्रस्ताव)

....

Name of Company/Firm:-____________________________________

सेनेट्री एवं कारपेन्टर संबंधी कार्य का विवरण	वार्षिक अनुमानित लागत	Rate of AMC for One Month (Inclusive all taxes)	
		(in Digits)	(in words)
बोर्ड भवन एवं परिसर में समस्त पाईप लाईन की मरम्मत का कार्य, बाथरूम तथा डब्लयू सी की मरम्मत का कार्य, बोर्ड कार्यालय में सैनेट्री एवं डेनेज व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए आवश्यक कार्य, दरवाजे/खिडकी, फर्नीचर तथा (कुर्सी टेबिल इत्यादि) अन्य कारपेन्टर संबंधी समस्त मरम्मत कार्य।	**1.00** लाख तक		

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील